

पु
२५

पत्रावली पैसा वकील प्रार्थी हाजिर।
प्रकरण में अणुषीगण को नोटिस
जरिए सजि० १/१ से घेरा करने हेतु
पकील प्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिया
जा चुका है तथा पूर्व में ऑरि ऊर्द कार
हिदायत ही जा चुकी है, लेकिन आज
दिनांक तक -यात्रालय में नोटिस की
रसीदें घेरा नहीं कीं। अतः प्रार्थी
का आवेदन २१२ RT Act आदेश १
नियम ५ के तहत खारिज किया जाएगा।
पत्रावली केंसल शुमार लोक नम्बर
से इस लोक वगविल हप्तरे ही

